



न्यायालय अपर समाहर्ता, पटना
दाखिल खारिज पुनरीक्षण वाद संख्या-42 / 2018-19
दिनेश कुमार बनाम राज्य एवं उज्जवल सिंह वगैरह
 (Under Section 8 of the Bihar Land Mutation Act, 2011)

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
18.12.2018	<p style="text-align: center;">आदेश</p> <p>आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुना। यह पुनरीक्षण वाद दाखिल खारिज अपील वाद सं०-46 / 2015-16 में भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर के द्वारा दिनांक-20.01.2017 को पारित आदेश के विरुद्ध दिनांक-08.08.2018 को दायर किया गया है। लगभग एक वर्ष सात माह के विलम्ब से दायर किये गये इस पुनरीक्षण को विलम्ब से दायर किये जाने के लिए Limitation Act की धारा-5 के तहत आवेदन दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सदर के द्वारा उन्हें कोई नोटिस नहीं दी गयी थी, जिस कारण उन्हें आदेश की जानकारी नहीं थी।</p> <p>दाखिल खारिज अपील वाद सं०-46 / 2015-16 में दिनांक-20.01.2017 को पारित आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि इस वाद के पुनरीक्षणकर्ता निम्न न्यायालय में उपस्थित हुए थे तथा उनके द्वारा प्रतिउत्तर भी दाखिल किया गया था।</p> <p>पुनरीक्षणकर्ता के द्वारा विलम्ब को क्षांत करने के लिए दिया गया कारण स्वीकार्य नहीं है, अतः वाद को कालबाधित मानते हुए खारिज किया जाता है।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित।  (वजैन उद्दीन अंसारी) अपर समाहर्ता, पटना</p> <p style="text-align: right;"> (वजैन उद्दीन अंसारी) अपर समाहर्ता, पटना</p>	